संख्या- 35/2017/303/पांच-9-2017-9(127)/12

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग- **लखनऊ, दिनांक 31 मई, 2017**

विषय:-मैनुअल रिपोर्टिंग की व्यवस्था को समाप्त कर समस्त रिपोर्टिंग (यू0पी0एच0 एम0आई0एस0) आनलाईन पोर्टल के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर प्रचलित विभिन्न रिपोर्टिंग प्रपत्रों एवं पोर्टल को एकीकृत कर पेपरलेस रिपोर्टिंग व्यवस्था संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया था। तदक्रम में चिकित्सा अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-36/2015/694/पांच-9-2015-9(127)/12टी0सी0, दिनांक 26-05-2015 द्वारा विभाग के समस्त रिपोर्टिंग प्रपत्रों एवं राज्य आधारित पोर्टल को एकीकृत कर तैयार किये गये यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यक्रमों के आंकडों को गुणवत्तायुक्त तरीके से एकत्र करने की व्यवस्था बनायी गयी थी तथा शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समस्त कार्यक्रमों की समीक्षा अब इसी वेब आधारित यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध आंकडों के आधार पर माह जून 2016 से किये जाने के निर्देश पारित किये गये थे। साथ ही इस शासनादेश द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पारित करते हुए सामान्यत: पृथक से किसी अन्य प्रारूप पर सूचना एकत्र किया जाना प्रतिबन्धित किया गया था तथा इस हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का उत्तरदायित्व स्पष्टतया निर्धारित किया गया था।

2- उक्त स्पष्ट आदेशों के बावजूद संज्ञान में आया है कि यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अपलोड किये गये आंकडों की गुणवत्ता पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण नीतिगत निर्णयों हेतु इन आंकडों का उपयोग नहीं हो पाता है। शासन स्तर पर आंकडों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिये जाने के निर्देश दिये गये है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त हेतु शासन स्तर से भी आंकडों की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए प्रत्येक माह फीड किये गये डाटा की गुणवत्ता परीक्षण रेंडम आधार पर सात जनपदों का चयन किया जाएगा। उक्त जनपदों का चयन एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु टीमों का गठन मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किया जायगा। टीम में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं व महानिदेशक, परिवार कल्याण तथा उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जायेगा। यदि परीक्षण टीम के द्वारा डाटा फीडिंग में वास्तविकता से भिन्नता पाई जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा और सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

4- एच0एम0आई0एस0 को और अधिक उपयोगी बनाये जाने हेतु इसमें कतिपय संशोधन भी किये गये है। यू0पी0एच0एम0आई0एस0 का समस्त जनपदों पर पुनः वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना भी प्रस्तावित है, जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा पृथक से निर्देश प्रसारित किये जायेंगे।

5- यू0पी0एच0एम0आई0एस0 में ऑकडों को फीड करने के लिए फील्ड से जिन प्रपत्रों पर ऑकडे एकत्र कराये जायेंगे उनकी सॉफ्ट कापी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की वेबसाइट www.upnrhm.nic.in पर "Formats for UPHMIS" लिंक पर उपलब्ध होगे। उक्त प्रपत्रों की छपाई के लिए धनराशि की व्यवस्था जिला स्तर पर DPMU Operational Cost-FMR Code No. A.10.2.8.1 एवं A.10.1.11.4 तथा ब्लॉक स्तर पर BPMUFMR Code No. A.10.3.7.1 एवं A.10.1.11.4 में उपलब्ध ध्नराशि से कराई जा सकती है।

6- कृपया उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-36/2015/694/पांच-9-2015-9(127)/12 टी0सी0, दिनांक 26-05-2015 का पुनः गम्भीरता से अध्ययन कर ले तथा अपने अधीनस्थ समस्त कार्योलयों का अभिमुखीकरण उक्त शासनादेश पर स्वंय कराना सुनिश्चित करें।

7- इस सम्बन्ध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि माह मई, 2017 के समस्त आंकडे उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गुणवत्ता सहित फीड कराया जाना सुनिश्चित करें तथा माह जून 2017 से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा हेतु यू0पी0एच0एम0आई0एस0 पर उपलब्ध आंकडों/सूचना का ही प्रयोग किया जाय।

8- उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपका व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

अरुण कुमार सिन्हा
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-35(1)/2017/303/पांच-9-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी।
4. अधिशासी निदेशक, सिफ्सा ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/महानिदेशक, परिवार कल्याण उ0प्र0।
6. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।